न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –35/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00107

मांगी बाई पत्नी श्री द्वारकालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सनखेडा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

चिमनलाल मीणा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय द्वारा पारित आदेश आदेश दिनांक 29.01.2020 की पालना करवाये जाने एवं अवमानना किये जाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने हेतु ।

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :–26.03.2024

1. यह प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के लिए अवाप्त भूमि ग्राम लसूडिया के खसरा नम्बर 491/453 की 0.2327 हे0 को ओद्योगिक श्रेणी में माना जाकर अवार्ड राशि 22,44,626/– रूपये ओद्योगिक दर से खातेदार को अदा करने हेतु दिनांक 25.6.2019 को अवार्ड पारित किया गया था । अवार्ड के विपरीत जाकर दिनांक 6.11.2019 को अप्रार्थी द्वारा आदेश पारित किया कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अन्य तथ्यों का मनन व अवलोकन किया जाकर गुणावगुण के आधार पर उक्त संपरिवर्तन 5.6.2018 के पश्चात होने से सद्भावी संपरिवर्तन नहीं होने के कारण राजहित में ओद्योगिक अवार्ड राशि 22,44,626/– पर रोक लगाते हुए उक्त भूमि को कृषि भूमि मानते हुए आबादी /रोड के पास सिंचित दर से मुआवजा राशि 4,71,109/– निर्धारित किया गया । जिसके विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अर्न्तगत 3 जी (5) नेशनल हाईवे ऑथोरिटी एक्ट 1956 एवं धारा 72 (2) भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 60/2020 निर्णय दिनांक 29.01.2020 से स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.11.2019 को निरस्त करते हुए प्रार्थीया को उक्त अवाप्त की गई भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने से औद्योगिक की दर से अवाप्त भूमि का मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अप्रार्थी को आदेशित किया गया था ।
2. उक्त आदेश दिनांक 29.01.2020 की पालना अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं करने पर प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश दिनांक 29.01.2020 की पालना करवाये जाने एवं अवमानना किये जाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने हेतु दिनांक 17.3.2020 को पेश किया गया है । न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2020 की अवमानना करते हुए सर्वथा गैर कानूनी रूप से एवं मनमाने तौर पर उक्त समस्त आराजीयात की मुआवजे की राशि 37,72,354/– रूपये बिना प्रार्थीया की सहमति के प्रार्थीया के बैंक खाते में डलवा दी है । अप्रार्थी एवं एन.एच.ए.आई विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2020

जिला कलेक्टर
कोटा

के विरूद्व आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही आदि प्रस्तुत नहीं की गई है ना ही किसी भी न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना को रोका गया है । ऐसी सिथति में अप्रार्थी का उक्त कृत्य आदेश दिनांक 29.01.2020 की पूर्ण रूप से अवमानना की परिधि में आता है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये । अप्रार्थी अनुपस्थित है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी से प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई । पत्रांक/भूमि अवाप्ति/ 2024/48 दिनांक 4.3.2024 से प्रकरण की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा पेश की गई । वकील प्रार्थी को सुना गया ।

4. वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के लिए अवाप्त भूमि ग्राम लसूडिया के खसरा नम्बर 491/453 की 0.2327 हे0 को ओद्योगिक श्रेणी में माना जाकर अवार्ड राशि 22,44,626/– रूपये ओद्योगिक दर से खातेदार को अदा करने हेतु दिनांक 25.6.2019 को अवार्ड पारित किया गया था । अवार्ड के विपरीत जाकर दिनांक 6.11.2019 को अप्रार्थी द्वारा आदेश पारित किया कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अन्य तथ्यों का मनन व अवलोकन किया जाकर गुणावगुण के आधार पर उक्त संपरिवर्तन 5.6.2018 के पश्चात होने से सद्भावी संपरिवर्तन नहीं होने के कारण राजहित में ओद्योगिक अवार्ड राशि 22,44,626/– पर रोक लगाते हुए उक्त भूमि को कृषि भूमि मानते हुए आबादी /रोड के पास सिंचित दर से मुआवजा राशि 4,71,109/– निर्धारित किया गया । जिसके विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अर्न्तगत 3 जी (5) नेशनल हाईवे ऑथोरिटी एक्ट 1956 एवं धारा 72 (2) भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 60/2020 निर्णय दिनांक 29.01.2020 से स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.11.2019 को निरस्त करते हुए प्रार्थीया को उक्त अवाप्त की गई भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने से औद्योगिक की दर से अवाप्त भूमि का मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अप्रार्थी को आदेशित किया गया था । किन्तु अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2020 की पालना नहीं की गई है, जो न्यायालय अवमानना की श्रेणी में आता है । इस न्यायालय के पूर्व आदेश अनुसार उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा ओद्योगिक दर से किया जाना था किन्तु अप्रार्थी द्वारा आदेशों की पालना नहीं की है । अतः अप्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2020 की अवमानना कर उसके सर्वथा विपरीत जाकर के उक्त अवैधानिक कृत्य किये जाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमावें ।

5. हमने प्रार्थीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी की प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 4.3.2024 का अवलोकन किया । जिस अनुसार सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 6.11.2019 को इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 60/2020 निर्णय दिनांक 29.1.2020 से निरस्त किया जाकर प्रार्थीया की अवाप्त भूमि की ओद्योगिक की दर से मुआवजा भुगतान के आदेश दिये गये थे, किन्तु सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी की रिपोर्ट दिनांक 4.3.2024 अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.2020 के विरूद्व एन.एच.ए.आई द्वारा अपर जिला न्यायाधीश क्रम–2 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जहां से निर्णय दिनांक 30.7.2021 से इस न्यायालय का आदेश 29.01.2020 अपास्त किया जा चुका है । अपर जिला न्यायाधीश क्रम–2 के प्रकरण संख्या 80/2020 निर्णय दिनांक 30.7.2021 के विरूद्व प्रार्थीया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में एस बी सिविल अपील नं0 1855/2021 प्रस्तुत की हुई है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2020 की अप्रार्थी चिमनलाल मीणा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा पालना नहीं करने से यह प्रार्थना पत्र

जिला कलेक्टर
कोटा

अवमानना का प्रस्तुत किया है, जबकि इस न्यायालय का आदेश दिनांक 29.01.2020 अपर जिला न्यायाधीश क्रम–2 कोटा के निर्णय दिनांक 30.7.2021 से निरस्त हो चुका है तो पालना किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, अप्रार्थी के विरूद्व अवमानना की कार्यवाही नहीं बनती है, साथ ही उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान में उच्च न्यायालय में एस बी सिविल अपील नं0 1855/2021 विचाराधीन है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है ।

6. अतः इस न्यायालय का आदेश दिनांक 29.01.2020 अपर जिला जिला न्यायाधीश क्रम–2 के आदेश दिनांक 30.7.2021 से निरस्त हो जाने से अप्रार्थी के विरूद्व अवमानना की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 26.3.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर कोटा (राज०)